रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जनवरी 29, 1970/माघ 9, 1891
No. 36] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29, 1970/MAGHA 9, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 29th January 1970

S.O. 384.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Union Territories (Separation of Judicial and Executive Functions) Act, 1969 (19 of 1969), the Central Government hereby appoints the 1st day of March, 1970, as the date on which the said Act shall come into force in all areas of the Union territory of Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands.

[No. F. 13/1/70-UTL.]

S.O. 385.—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 1615, dated the 6th May, 1968, in so far as it relates to the exercise of powers and discharge of functions by the Administrator of the Union territory of Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, the President hereby directs that the said Administrator shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions under the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), as amended by the Union Territories (Separation of Judicial and Executive Functions) Act, 1969 (19 of 1969), in relation to the Union territory of Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, specified in column (1) of the Schedule hereto annexed, subject to the general condition that the Central Government may itself exercise all or any of those powers and discharge all or any of those functions should it deem necessary so to do and subject to the special conditions, if any, specified in column (2) of the said Schedule.

2. This notification shall have effect from the 1st March, 1970.

Schedule showing the delegation of powers and functions under the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), as amended by the Union Territories (Separation of Judicial and Executive Functions) Act, 1969 (19 of 1969) to the Administrator of the Union territory of Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands.

Powers and functions	Conditions subject to which exercisable
(1)	(2)
(*i*) All powers and functions of the State Government except those under section 14.	The powers to empower and Executive Magistrate under sub-section (1A) of section 164 shall be exercised only when the Judicial Magistrate is not available to record the statement or confession.
(*ii*) Powers and functions of the Central Government under sub-section (3) of section 198B, in respect of persons employed in connection with the administration of the Union territory of Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands.	
(*iii*) Powers and functions of the appropriate Government under section 401, except in respect of—	
(*a*) cases involving the sentence of death where such sentence has not been commuted;	
(*b*) cases where the sentence is for an offence against any law relating to any of the matters enumerated in List I in the Seventh Schedule to the Constitution; and	
(*c*) cases where the order referred to in sub-section (4A) of section 401 passed under any law relating to any of the matters enumerated in List I in the Seventh Schedule to the Constitution.	

[No. F. 2/1/70-UTL.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

भारत सरकार, गृह मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 29 जनवरी 1970

का० आ० 384 :—संघ राज्य क्षेत्र (न्यायिक और कार्यपालक कृत्यों का पृथक्करण) अधिनियम, 1969 (1969 का 19) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 मार्च, 1970 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में प्रवृत्त हो जाएगा ।

[सं० फ० 13/1/70—यू० टी० एल]

का० आ० 385:—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1615, तारीख 6 मई, 1968 को, वहां तक जहां तक कि उसका संबंध लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह के संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासक द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन से है, आंशिक रूप से उपांतरित करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि उक्त प्रशासक, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और आगे आदेश होने तक

लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ राज्य क्षेत्र (न्यायिक और कार्यपालक कृत्यों का पृथक्करण) अधिनियम, 1969 (1969 का 19) द्वारा यथा संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 (1898 का 5) के अधीन उन शक्तियों का प्रयोग और उन कृत्यों का निर्वहन जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट हैं, इस साधारण शर्त के अध्यधीन कि यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह स्वयं उन सभी शक्तियों का या उनमें से किसी का प्रयोग और उन सभी कृत्यों का या उनमें से किसी का निर्वहन कर सकेगी तथा उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट विशेष शर्तों, यदि कोई हों, के अध्यधीन करेगा ।

2 यह अधिसूचना 1 मार्च, 1970 से प्रभावी होगी ।

लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह के संघ राज्यक्षेत्र (न्यायिक और कार्यपालक कृत्यों का पृथक्करण) अधिनियम, 1969 (1969 का 19), द्वारा यथा संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5), के अधीन की शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन दर्शित करने वाली अनुसूची ।

शक्तियां और कृत्य	शर्त जिसके अधीन वह प्रयोक्तव्य है
(1)	(2)
(i) धारा 14 के अधीन की शक्तियों और कृत्यों को छोड़कर, राज्य सरकार की सभी शक्तियां और कृत्य ।	धारा 164 की उपधारा (1क) के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सशक्त करने की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाएगा जब कथन या संस्वीकृति को अभिलिखित करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट मौजूद न हो ।
(ii) धारा 198 की उपधारा (3) के अधीन, लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप-समूह के संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के संबंध में नियोजित व्यक्तियों की बाबत, केन्द्रीय सरकार की शक्तियां और कृत्य ।	
(iii) निम्नलिखित के संबंध में छोड़कर, धारा 401 के अधीन समुचित सरकार की शक्तियां और कृत्य :	
(क) वह मामले जिनमें मृत्यु दंडादेश अन्तर्वलित हो किन्तु जिनमें ऐसा दंडादेश लघुकृत नहीं किया गया हो ;	
(ख) वह मामले जिनमें दंडादेश संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 में प्रगणित विषयों में से किसी के संबंध में किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए हो, तथा	

(1)	(2)
(ग) वह मामले जिनमें धारा 401 की उप-धारा (4क) में निर्दिष्ट आदेश, संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 में प्रगणित विषयों में से किसी के संबंध में किसी विधि के अधीन पारित किया गया हो ।	

[सं० एफ० 2/6/69-यू० टी० एल]

के० आर० प्रभु,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970